

न्यायालय, भूमि सुधार उपसमहार्ता, बुण्डू (राँची)

आदेश-पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक 1941 का नियम 129)

आदेश पत्रक तारीख 12/06/17 से 05/08/17 तक

जिला-राँची, दाखिल खारिज अपील वाद संख्या-14 सन्-2017-18।

वाद का प्रकार-दाखिल खारिज अपील।

अर्जीकार-मणीराम महतो प्रतिपक्षी-अंचल अधिकारी, सोनाहातु वगैरह।

आदेश की क्रम सं० एवं तारीख.	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गयी टिप्पणी तारीख सहित												
05/08/17	<p>प्रस्तुत वाद में अपीलार्थी-मणीराम महतो, पे०-स्व० कीनू महतो, ग्राम-माहिल, टोला-तिलाईपिड़ी, पो०-पेड़ाईडीह, थाना-सोनाहातु, जिला-राँची के द्वारा अपने विद्वान अधिवक्ता के माध्यम से अंचलाधिकारी, सोनाहातु के द्वारा नामांतरण मुकदमा सं०-603 R27/2011-2012 में दिनांक-04/08/2011. को पारित आदेश के विरुद्ध यह अपील दायर किया है। जिसके द्वारा निम्न भूमि का नामांतरण अस्वीकृत किया गया।</p> <p style="text-align: center;">भूमि विवरणी</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">मौजा</th> <th style="text-align: left;">थाना</th> <th style="text-align: left;">थाना सं०</th> <th style="text-align: left;">खाता सं०</th> <th style="text-align: left;">खेसरा सं०</th> <th style="text-align: left;">रकवा</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>माहिल</td> <td>सोनाहातु</td> <td>05</td> <td>202</td> <td>1200 34 डी०</td> <td>मध्ये 16.5 डी०</td> </tr> </tbody> </table> <p>सुनवाई हेतु अपील वाद को ग्रहण किया गया एवं नोटिस निर्गत कर अंचल अधिकारी, सोनाहातु से जाँच प्रतिवेदन/मूल अभिलेख की माँग करते हुए वाद की कार्यवाही प्रारंभ की गयी।</p> <p>अपीलार्थी की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता के कथनानुसार- अपीलार्थी ने उपरोक्त भूमि सोहन महतो पिता स्व० हिकिम महतो से निबंधित पट्टा सं०-19288/16563 द्वारा नियम पूर्वक खरीदा है। एवं उक्त भूमि पर शांतिपूर्वक दखलकार है। अपीलार्थी द्वारा दिनांक-06/07/2010 को अंचलाधिकारी, सोनाहातु के समक्ष दाखिल खारिज हेतु आवेदन दिया गया जिसका नामांतरण मुकदमा सं०-603 R27/2011-2012 है।</p> <p>उक्त नामांतरण वाद वाद में हल्का कर्मचारी ने अपने जाँच प्रतिवेदन में नामांतरण स्वीकृत करने की अनुशंसा की है जबकि अंचल निरीक्षक द्वारा नामांतरण अस्वीकृत करने की अनुशंसा की गयी जिसके आधार पर अंचल अधिकारी, सोनाहातु द्वारा नामांतरण अस्वीकृत की गयी।</p> <p>अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता अपने बहस में कहते हैं कि-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. आर०एस० खतियान में बाऊरी महतो वो गुरुवा महतो वो हिकिम महतो वो बुधू महतो पिता मधु महतो के नाम से दर्ज है। वंशावली इस प्रकार है-मधु महतो के चार पुत्र हुए (1) बाऊरी महतो (2) गुरुवा महतो, (3) हिकिम महतो एवं (4) बुधू महतो। बाऊरी महतो नावलद मृत हुए। गुरुवा महतो का एक पुत्र स्व० लाल मोहन महतो हुआ। हिकिम महतो का एक पुत्र सोहन महतो (विक्रेता) हुए। बुधू महतो नावलद मृत हुए। 2. विपक्षी सोहन महतो के पूर्वज के नाम पर खाता सं०-190 एवं 202 में कुल रकवा-6.83 एकड़ जमीन अंचल कार्यालय, सोनाहातु में जमाबंदी कायम है। 	मौजा	थाना	थाना सं०	खाता सं०	खेसरा सं०	रकवा	माहिल	सोनाहातु	05	202	1200 34 डी०	मध्ये 16.5 डी०	
मौजा	थाना	थाना सं०	खाता सं०	खेसरा सं०	रकवा									
माहिल	सोनाहातु	05	202	1200 34 डी०	मध्ये 16.5 डी०									

आदेश की क्रम सं० एवं तारीख	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई एवं टिप्पणी तारीख सहित
	<p>3. उपरोक्त नामांतरण वाद में राजस्व कर्मचारी के प्रतिवेदनुसार निबंधित केवाल का अवलोकन किया राजस्व पंजी 2 में मिलान किया इसके पश्चात भूमि विक्रेता जमाबंदी रैयत हिकीम महतो के पुत्र सोहन महतो अपने हक और हिस्से की जमीन का आवेदक मनीराम महतो को नियमानुसार भूमि का हस्तांतरण किया है जो सही है। स्थानीय जाँच में भी कर्मचारी ने आवेदक को निर्विवाद रूप से दखल कार पाया गया है। और नामांतरण स्वीकृत करने का अनुशंसा किया गया है।</p> <p>4. अंचल निरीक्षक ने अपने जाँच प्रतिवेदन में विक्रेता के हिस्से में कम भूमि होने की बात लिखकर बिक्री को गलत किया है। जो पूरी तरह अनुचित है क्योंकि आर एस खतियान के अनुसार विक्रेता के पिता को उक्त जमीन हिस्से में मिली थी, वंशावली के मुताबिक भी प्लॉटवार बंटवारा करने पर उनका उतना होता है। अंचल निरीक्षक ने खतियान का अवलोकन के बिना जाँच प्रतिवेदन बनाया है जो पूरी तरह निराधार है।</p> <p>5. आवेदक का उपरोक्त खरीदगी भूमि में खतियानी रैयत के अन्य उत्तराधिकारी वंशज का भी किसी तरह का आपत्ति नहीं है। अंचल कार्यालय के जमाबंदी में भी विपक्षी का पर्याप्त जमीन है।</p> <p>6. आवेदित भूमि क्रेता-विक्रेता सी०एन०टी० की सूची के सदस्य है अपरोक्त भूमि के विक्रय के समय अनुमति प्राप्त करने का कोई कानूनी नियम नहीं था, इन्ही कारणों से उनका निबंधन नियमानुसार हुआ। विक्रेता-क्रेता एक ही जाति, एक ही ग्राम, एक ही थाना क्षेत्र एवं एक ही जिला के निवासी हैं।</p> <p>7. आवेदित भूमि सोनाहातु, अंचल कार्यालय के पंजी 2 के पृष्ठ सं०-120, भाग 1 में मो० लदु पति बाऊरी महतो के नाम से दर्ज है। विपक्षी के पास भरण पोषण पर्याप्त जमीन है तथा बिक्री की गई खाते में भी उनका पैतृक जमीन भरण पोषण के लिए पर्याप्त है।</p> <p>8. माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय के आदेश 25 फरवरी 2012 को कुरमी जाति को सी०एन०टी० एक्ट के तहत परमिशन अनिवार्य किया है जिसका आलोक में यह भूमि आवेदक एवं विपक्षी का विक्रय परमिशन लेने में न्यायोचित है।</p> <p>अपीलार्थी की ओर से अनुरोध किया गया है कि ऊपर वर्णित तथ्यों एवं आवश्यक कागजात से यह वाद स्वीकृति होने योग्य है। श्रीमान से आग्रह है कि आवेदक का दाखिल खारिज वाद को स्वीकार करने की कृपा की जाए।</p> <p>उपसमाहर्ता, विधि शाखा, राँची के पत्रांक-217(ii) दिनांक-31/01/2012 के द्वारा प्राप्त झारखण्ड उच्च न्यायालय के W.P.(PIL) No.-758/2011 में दिनांक-25/01/2012 को मुख्य न्यायाधीश प्रकाश टाटिया एवं न्यायाधीश अपरेश कुमार सिंह के द्वारा पारित आदेशानुसार C.N.T Act का अनुपालन सख्ती से करना निदेशित है। उपरोक्त तथ्यों एवं निर्देशों, विद्वान अधिवक्ता के बहस को सुनने तथा अपीलार्थी द्वारा दाखिल किये गए दस्तावेजों के अवलोकनोपरांत न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचती है कि उपरोक्त भूमि के हस्तांतरण में छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा-46 1(b) का उल्लंघन हुआ है। अतः उपरोक्त अपील वाद को अस्वीकृत किया जाता है।</p> <p>लेखापित एवं संशोधित।</p> <p>भूमि सुधार उपसमाहर्ता, बुण्डू(राँची)।</p> <p>भूमि सुधार उपसमाहर्ता, बुण्डू(राँची)।</p>	